Advisory for Sports Associations for Maintaining Minimum Quality Standard

With reservation in jobs and admissions in place, gradation certificate has become an instrument of affirmative discrimination. Care needs to taken to see that such benefits are passed on only to the worthy candidates.

Towards this end, it seems to be necessary to keep a watch on the quality of events and activities of sports associations in the state. Adherence to minimum quality standards may be linked to their recognition by sports department's for the purpose of giving grants-in-aid, camps, gradation certificates, cash awards, technical support, sports infrastructure etc.

The minimum quality standard of sports associations may be defined as under:

1. All sports associations will be affiliated to national bodies and the State Olympic Association. The latter will have transparent, time-bound procedure for granting or refusing affiliation to a sports association.

2. All sports association will take care to function in fair, transparent and objective manner while dealing in matters of sports. For example:

   (a) They will maintain audited record of annual financial transactions and publish annual financial statement on 31 March every year. They will also maintain a website containing all relevant information on their activities in public domain.

   (b) They will abide by sports department's order in regard to Right to Information Act and maintain necessary office infrastructure for the purpose.

   (c) They will submit an annual event and activities calander by 15 March every year, detailing their activities for the impending financial year. They will also align themselves for a government-appointed observer for keeping a watch on the quality of their events in terms of level of participation and fairness in event organization.

   (d) They will organize district level competitions without fail and allow players' selection for higher events through open competition. They will scrupulously avoid selection by trial, breeding ground for favoritism and corruption. They will have a district and state-level selection committees in place who will record their proceedings while selecting teams and players for higher competitions.

   (e) They will organize camps prior to major national events to ensure that players do their best in the impending event. They will submit their camps schedule at least 40 days in advance to the sports department for grants-in-aid and services of coaches.

   (f) They will hire services of physiotherapists, sports doctors and support staffs to ensure that competitive players stay away from injuries and are able to do their best.

   (g) They will upload achievements of their players and results of competitions on their websites within 7 days of the event.

   (h) They will take steps to check malpractices like under-aging and substantive abuse. They will also collaborate with sports department for raising strength and standards of qualified game officials like referees, team managers, support staffs etc.

   (i) They will be ensure players' and officials' attendance at the government-organized sporting events and functions whenever required on priority basis.

   (j) They will insist for government's No-objection Certificate before accommodating any government officials in their rank.

(3) Sports department will appoint observers for district and state-level events to assess their adherence to minimum quality standard.

(4) In pursuant of Observer's report, the defaulter associations will be called upon to show cause by the sports department. Associations' failure to provide satisfactory reply will attract their de-recognition, resulting in discontinuance of benefits admissible under Haryana Sports Policy, 2009.

सभी खेल संघों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मापदंड परामर्श

नौकरियों तथा दाखिलों में आरक्षण के कारण खेल उपलब्धि वर्गीकरण (ग्रेडेशन) प्रमाण पत्र पक्षपात विवेक की स्वीकारोक्ति का मापदंड बन गया है। अत: इस मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है कि ये लाभ केवल योग्य उम्मीदवारों को ही उपलब्ध हो पाँए। इस उद्देश्य हेतु, राज्य में खेल संघों के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों पर नजर रखना अनिवार्य है। खेल विभाग द्वारा, न्यूनतम गुणवत्ता मापदडों का निष्ठा से पालन करने वाले संघों को, अनुदान, ग्रेडेशन प्रमाण पत्र, नकद ईनाम, तकनीकी एवं स्टेडियमों की सुविधा, प्रदान करने बारे विचार करना चाहिए।

खेल संघों के लिए न्यूनतम मापदंड निम्न प्रकार से वर्णित है:-

1. सभी राज्य संघ अपने खेल के राष्ट्रीय संघ एवं राज्य ओलपिंक संघ से सम्बद्ध हों। राज्य ओलपिंक संघ, राज्य खेल संघों को मान्यता प्रदान करने के लिए पारदर्शी एवं समयबद्ध कार्यप्रणाली का अनुसरण करेगा।।

2. सभी संघ खेल के मामलों पर स्पष्ट, पारदर्शी एवं निष्पक्ष निर्णय लेने का प्रयास करेंगें। उदाहरण के तौर पर

(a) वे वार्षिक वित्तीय आदान प्रदान को लेखा-परीक्षण रिकार्ड तैयार करेंगें तथा प्रतिवर्ष 31 मार्च को वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रकाशन करवाएँगें। वे अपनी गतिविधियों की पूर्ण सूचना बारे जनहित में एक वैबसाईट तैयार करेंगें।

(b) 'सूचना का अधिकार' अधिनियम के संदर्भ में वे खेल विभाग के आदेशों का पालन करेंगें तथा इस उद्देश्य हेतु आवश्यक कार्यालय संरचना तैयार करेंगें।

(c) वे वार्षिक कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को समय सारणी (कलैण्डर) प्रतिवर्ष 15 मार्च तक बनाएगें जिसमें चालू वित्त वर्ष के दौरान होने वाली गतिविधियों का विवरण दिया जाएगा।

(d) उनकी जिला ईकाई नियमित रूप से जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगें तथा उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का चयन ओपन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। ट्रायल द्वारा की गई चयन प्रक्रिया जो पक्षपात एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, की निष्ठापूर्वक निंदा करेंगें। वे जिला

एवं राज्य स्तरीय चयन खेल कमेटियाँ बनाएँगे जो उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया की कार्यवाही को रिकार्ड करेंगी।

(e) सभी संघ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं से पूर्व खिलाड़ियों के सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए खेल शिविर आयोजित करेंगें।

(f) खिलाड़ियों को चोट से बचाने के लिए संघ शारीरिक चिकित्सक (Physiotherapist, खेल औषध डॉक्टर तथा सहायक अमले की नियुक्ति करेंगें ताकि खिलाड़ियों को चोट से बचाव रहे और वे सर्वोत्तम प्रदर्शन कर पाएँ।

(g) वे प्रतियोगिता के सम्पन्न होने के 7 दिन के अन्दर अपने खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ वैबसाइट पर डालेंगें।

(h) खेलों मे व्याप्त बुराइयों, जैसे कम आयु प्रतिभागिता तथा नशीले पदार्थों का सेवन, को दूर करने के प्रयास करेंगें।

वे तकनीकी विशेषज्ञों जैसे रैफरी, टीम प्रबधंक तथा सहायक स्टाफ इत्यादि की क्षमता बढ़ाने में खेल विभाग का सहयोग करेंगें।

3. सभी संघ सरकारी प्रतियोगिताओं तथा कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार खिलाड़ियों व अधिकारियों की उपस्थिति को प्राथमिकता देंगें।

4. किसी भी सरकारी व्यक्ति को कोई भी पद/ओहदा प्रदान करने से पूर्व संघ सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगें।

5. न्यूनतम गुणवत्ता मानकों के प्रति संघों की निष्ठा का मूल्यांकन करने के लिए खेल विभाग प्रत्येक आयोजन हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा।

6. पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के मध्यनजर दोषी पाए गए संघ को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। संतोषजनक उत्तर न देने पर संघ की मान्यता रद्द करते हुए सरकारी खेल नीति के सभी लाभ समाप्त कर दिए जाएंगें।